



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22102022-239842
CG-DL-W-22102022-239842

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, अक्टूबर 9—अक्टूबर 15, 2022, शनिवार/ आश्विन 17—आश्विन 23, 1944
No. 37] NEW DELHI, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2022, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 151.—महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के निबंधनों के अनुसार, लोक सभा सचिवालय में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और उनके उत्पीड़न संबंधी परिवादों के निवारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए एक 'आंतरिक परिवाद समिति' का गठन किया गया है। इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के सदस्यों का कार्यकाल 25.09.2022 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(एक)	श्रीमती सुमन अरोड़ा संयुक्त सचिव	पीठासीन अधिकारी
(दो)	श्रीमती ममता केमवाल निदेशक	सदस्य
(तीन)	श्री एच. राम प्रकाश निदेशक	सदस्य
(चार)	श्रीमती जुबी अमर निदेशक	सदस्य-सचिव
(पांच)	श्रीमती अनुजा पेटिया अधिवक्ता	सदस्य

[फा. सं. एफ.7/52/2009-वीयू/जीएन-9466/2022]

भारती संजीव टुटेजा, निदेशक

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd September, 2022

G.S.R. 151.—In terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an "Internal Complaints Committee", has been constituted comprising of the following members to provide protection against sexual harassment of women at workplace of Lok Sabha Secretariat and for redressal of complaints of harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. The tenure of the members of the Committee constituted for the purpose will be for a period of one year with effect from 25.09.2022 or until further orders whichever is earlier.

(i)	Smt. Suman Arora Joint Secretary	Presiding Officer
(ii)	Smt. Mamta Kemwal Director	Member
(iii)	Shri H. Ram Prakash Director	Member
(iv)	Smt. Juby Amar Director	Member-Secretary
(v)	Smt. Anuja Pethia Advocate	Member

[F. No. F.7/52/2009-VU/GN-9466/2022]

(Smt.) BHARTI SANJEEV TUTEJA, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 152.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, जिला- बांकुरा, पश्चिम बंगाल (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक इसका संबंध प्रयोगशाला परिचारक से है उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, में प्रयोगशाला परिचारक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल, प्रयोगशाला परिचारक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रयोगशाला परिचारक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो। 2. किसी भी केन्द्रीय सरकार या राज्य

	सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रयोगशाला से एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखता हो। टिप्पण 1:- अनुभव, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेगी,- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और (ख) जो स्तम्भ-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई अर्हताएं रखता हो।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

	(2) उप-निदेशक या सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य	
	(3) चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/47/2018-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 152.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute at Gauripur in Bankura District, West Bengal (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as it relate to the post of Laboratory Attendant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur Bankura, West Bengal, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Bankura, West Bengal, Laboratory Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Attendant	1 *(2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the Government servants upto age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit, shall, in each case, be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	1. 10th class passed from a recognised Board. 2. One year working experience in any Central Government or State Governments registered laboratory. Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note: 2. The qualification regarding experience is relaxable at discretion of the Competent Authority in the case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made.
(10)	(11)
100 per cent. by direct recruitment. Note: vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officials of the Central Government. -	Not applicable

(a) holding analogous posts on regular basis; and	
(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits at Column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:	Not applicable.
(1) Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Chairman	
(2) Deputy Director or Assistant Director Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member	
(3) Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member.	

[F. No. A.12018/47/2018-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़ (पैरा चिकित्सा कर्मकार) पद भर्ती नियम, 2002 उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़ में पैरा चिकित्सीय कर्मकार पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, पैरा चिकित्सा कर्मकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
पैरा चिकित्सा कर्मकार	07* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21,700-69,100/ रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप, और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	1 किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन या इसके समतुल्य उत्तीर्ण हो। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पैरा मेडिकल कर्मकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र धारण करता हो। टिप्पण :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण :- पदधारी के प्रतिनियुक्त पर स्थानान्तरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से

		प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेगी- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते किए हुए हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 या उसके समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा किया हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखता हों।
--	--	--

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य 4. उस क्षेत्र के केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/10/2017-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 153.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chhattisgarh (Para Medical Worker) Post Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Para Medical Worker in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chhattisgarh, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chhattisgarh, Para Medical Worker (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of said post, its classification and pay level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. —No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Para Medical Worker	7* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group - 'C' Non-gazetted, Non-ministerial.	Level-3 (Rs.21700-69100) in the pay matrix	Not applicable

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andman and Nicobar Islands and Lakshdweep. 2. In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	1. Passed Matriculation or equivalent from a recognised Board or university; 2. Certificate of having passed Para Medical Worker Training Course from a recognised Institution. Note - Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case candidate is otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
100% by Direct recruitment. Note: - Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government holding, - (a)(i) analogous post on regular basis; or (ii) post in the level-2 or equivalent with three years regular service in the grade; and (b) Possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group-C-Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur - Chairman 2. Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur - Member 3. Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur -Member 4. A Gazetted Officer from another Central or State Government Office in the area - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/10/2017-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 154.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्निमूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980, जहां तक इनका संबंध (i) ड्राइवर (ii) ड्राइवर – सह-मैकेनिक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र में स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र, स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार चालक श्रेणी- II और स्टाफ कार चालक श्रेणी-I (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—**ये नियम इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
1. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	07* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रु.)

चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
आवश्यक अर्हताएं : 1. मोटरकारों के लिए कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो 2. मोटर यन्त्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में मामूली खराबी दूर करने योग्य होना चाहिए) 3. किसी मोटर कार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव 4. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। वांछनीय: यांत्रिक या यान मरम्मत कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव या प्रशिक्षण। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त सख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किये जाने की कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जाना अपेक्षित है।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति /आमेदन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1(18000-56900 रु.) में के ऐसे नियमित सवार हरकारा (श्रेणी - ग) और श्रेणी - ग के ऐसे कर्मचारी जिनके पास मोटर कार चालन सक्षमता का निर्धारण करने के चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1(18000-56900 रु.) में नियमित आधार पर सवार हरकारा या नियमित श्रेणी ग कर्मचारियों के पद धारण करने वाले अधिकारियों से जो स्तम्भ (7) में वर्णित की गई अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हो। सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक के संबंध में भी विचार किया जायेगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहे दिया जा सकता है। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र; - अध्यक्ष 2. उप सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से या दिल्ली या नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय का कोई अन्य सस्थान से ; -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र - सदस्य सचिव	लागू नहीं होता है।

(1)	(2)	(3)
2. स्टाफ कार चालक श्रेणी - II	07* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर--4 (25500- 81100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2(19900-63200 रु.) में के ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक श्रेणी - II और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक , राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र; - अध्यक्ष 1. उप सचिव , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से या दिल्ली या नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय का कोई अन्य सस्थान से ; - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र -सदस्य सचिव	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)
3. स्टाफ कार चालक श्रेणी - I	दस * (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

(4)	5	6
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200- 92300 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4(25500-81100 रु.) में के ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र; - अध्यक्ष 2. उप सचिव , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से या दिल्ली या नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय का कोई अन्य सस्थान से; -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र -सदस्य सचिव	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1-88/2019/प्रशा.-I]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 11th October, 2022

G.S.R. 154.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the posts of (i) Driver (ii) Driver-cum-Mechanic, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Grade-I in the National Center For Vector Borne Disease Control under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health & Family Welfare, National Center For Vector Borne Disease Control, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Grade-I (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Level in pay matrix.—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of Recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	07*(2022) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Between 18 and 27 years of age* * (Relaxable for the departmental candidates up to forty years of the age in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential qualifications: 1. Possess a valid Driving License for motor cars. 2. Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor -defects in vehicle). 3. At least three years experience in driving. 4. 10 th Class pass from a recognised Board. Desirable: At least three years experience or training in Mechanical or vehicle repairing work. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful clearance of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment failing which by deputation/absorption.	Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group-C) and Group C employees in level-I in the pay matrix (Rs.18000-56900) who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group-C employees in level-I in the Pay matrix (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications and experience as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation and absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Director or Deputy Director, National Center for Vector Borne Diseases Control Chairman	Not applicable.

2.	Deputy Director from the Directorate General of Health Services or any other Institute of the Directorate Located in Delhi or New Delhi	-Member	
3.	Administrative Officer, National Center for Vector Borne Diseases Control	- Member Secretary.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Staff Car Driver Grade-II	07*(2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100)

(5)	(6)	(7)	(8)
Non- selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not Applicable	By promotion	By promotion from among Staff Car Drivers (Ordinary Grade) with nine years' regular service in the level -2 in the pay matrix (Rs.19900-63200). Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Not applicable.
1. Joint Director or Deputy Director, National Center for Vector Borne Diseases Control	- Chairman
2. Deputy Director, Directorate General of Health Services or any other Institute of the Directorate located in Delhi or New Delhi	- Member
3. Administrative Officer, National Center for Vector Borne Diseases Control	- Member Secretary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver Grade-I.	Ten*(2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion: Staff Car Driver Grade-II in the Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test specified by the Government. Note: Where Juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half or such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Joint Director or Deputy Director, National Center for Vector Borne Diseases Control - Chairman 2. Deputy Director, Directorate General. of Health Services or any other Institute of the Directorate located in Delhi or New Delhi - Member 3. Administrative Officer, National Center for Vector Borne Diseases Control - Member Secretary.	Not applicable.

[F. No. 1-88/2019/Admn.-I.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.